न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

म्यू0 अपील संख्या 42/2012

विजयनगर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 विजयनगर जिला अजमेर जरिये अध्यक्ष।

अपीलान्ट

बनाम

1. नगरपालिका विजयनगर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका
2. आर्यसमाज विजयनगर जरिये प्रधान कृष्ण गोपाल शर्मा निवासी न्यू बजरंग कॉलोनी, सताना बाजार, विजयनगर, अजमेर।

रेस्पोन्डेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 326
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री मदन लाल गुर्जर, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री बंसन्त विजयवर्गीय, वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक 30.09.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि विजयनगर क्रय विक्रय सहकारी समिति विजयनगर जरिये अध्यक्ष द्वारा नगर पालिका विजयनगर जिला अजमेर के समक्ष दिनांक 18.06.2010 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आठ दुकानें व एक कार्यालय कक्ष निर्माण करने की स्वीकृति चाही गई। नगर पालिका विजयनगर द्वारा बाद विधिवत् जांच पश्चात् जरिये पत्र क्रमांक/न.पा.वि./नामा./2011/4589–91 दिनांक 21.10.2011 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 21.10.2011 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गय। रेस्पोन्डेन्टस जरिये वकील उपस्थित हुए। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अपील के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्रारंभ से ही नहीं है। अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय से एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर अवैध निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। क्षेत्राधिकार के संबंध में उन्होंने हमारा ध्यान राजस्थान राजस्व विशेषांक

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

26 मई 2011 की ओर आकर्षित करते हुए अपील इसी स्तर पर निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कों के जवाब में वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि अपील के सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है तो न्यायहित में विधिवत निस्तारण हेतु अपील सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान राजस्व विशेषांक 26 मई 2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान नगर पालिका 2009 के अन्तर्गत अपील के निस्तारण हेतु संबंधित उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग को शक्तियां प्रदत्त की गई है। अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है। नगर पालिका विजयनगर अपीलान्ट के विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वंतत्र है। अपीलान्ट चाहे तो सक्षम न्यायालय में नये सिरे से अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 30.09.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner